महत्वपूर्ण

संख्या–3325/71–2–17–158/2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2017

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की माप–अप राउण्ड की काउंसिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3324/71–2–17–158/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/1296, दिनांक 31 अगस्त, 2017 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में आपके उक्त पत्र दिनांक 31.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में बी0डी0एस0 की अवशेष रिक्त सीटों पर नीट यू0जी0, 2017 की मेरिट सूची के आधार पर माप–अप राउण्ड के माध्यम से काउंसिलिंग/प्रवेश तथा अन्य सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

माप–अप राउण्ड हेतु काउसिलिंग शिडयूलः–

क0सं0	विवरण	अवधि	दिवस
1	माप–अप राउण्ड हेतु ऑनलाइन पंजीकरण (मात्र निजी क्षेत्र के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु)	दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे से दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक	01
2	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 05 सितम्बर, 2017	01
3	आबंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही	दिनांक 06 से 08 सितम्बर, 2017 तक	03

1. ऑनलाइन पंजीकरण की कार्यवाही एन0आई0सी0 की वेबसाइट **https://upneet.gov.in** पर सम्पन्न की जाएगी।
2. मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क के रूप रू0 1,000/– ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
3. दिनांक 04 से 05 सितम्बर 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थी ही मॉप अप राउण्ड आवंटन हेतु अर्ह होंगे।
4. नीट यू0जी0 2017 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में कराया गया ऑनलाइन पंजीकरण मॉप अप राउण्ड आवंटन हेतु मान्य नहीं होगा।

5. माप–अप राउण्ड के माध्यम से काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के लाइब्रेरी कम लेक्चर हॉल, निकट प्रशासनिक भवन में आन–स्पॉट सम्पन्न की जायेगी।
6. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो Director General Medical Education & Training, U.P.Lucknow के नाम से लखनऊ में देय हो, आवंटन स्थल पर अभिलेखों के सत्यापन के समय ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा किया गया था, किन्तु उन्हे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग तथा दिनांक 25 अगस्त 2017 से 27 अगस्त 2017 के मध्य मॉपअप राउण्ड के अन्तर्गत कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
8. मॉपअप राउण्ड से निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु निर्धारित किये गये न्यूनतम शुल्क रू0 1.37 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो Director General Medical Education & Training, U.P.Lucknow के नाम से लखनऊ में देय हो, आवंटन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. मॉप अप राउण्ड में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य सुसंगत अभिलेंख मूल रूप से काउसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (मूल अभिलेख न होने की स्थिति में आवंटन की कार्यवाही अनुमन्य नहीं होगी) ।

3– काउंसिलिंग/प्रवेश/सिक्योरिटी मनी के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.07.2017, 02.08.2017 एवं 31.08.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

4– महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा उपर्युक्त आदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा निजी क्षेत्र के समस्त डेण्टल कालेजों को प्रश्नगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश की प्रति वेबसाइट www.updgme.in एवं https://upneet.gov.in पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा अपलोड की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या–   (1)/71–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
6. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।